भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *53
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिजों के लिए रॉयल्टी

*53. श्रीमती संजना जाटवः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीग-भरतपुर क्षेत्र में खनिज रॉयल्टी के संबंध में कुल देय राशि और प्राप्त की गई/वसूल की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) अवैध खनन अथवा खनन के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया है और उनकी कुल राशि कितनी है; और
(ग) अब तक उक्त जुर्माने की कुल कितनी राशि वसूल की गई है और कितनी राशि अभी वसूल की जानी शेष है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘खनिजों के लिए रॉयल्टी’ के संबंध में श्रीमती संजना जाटव द्वारा दिनांक 23.07.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) राजस्थान के डीग-भरतपुर क्षेत्र में केवल गौण खनिज पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उपधारा (1क) का खंड (छ) राज्य सरकार को गौण खनिजों के संबंध में किराया, रॉयल्टी, शुल्क, निश्चित किराया, जुर्माना या अन्य शुल्क का निर्धारण करने और वसूलने का अधिकार देता है। राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीग-भरतपुर क्षेत्र में खनिज रॉयल्टी के संबंध में देय कुल राशि और प्राप्त/वसूली गई राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उनसे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियम, 2006' को अधिसूचित किया है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 5 वर्षों (2020-2021 से 2024-2025) में अवैध खनन अथवा निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन के कुल 159 मामले हैं। उक्त मामलों में, कुल 9452.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 643.99 लाख रुपये की वसूली की गई।

******

अनुलग्नक

डीग-भरतपुर क्षेत्र में खनिज रॉयल्टी के संबंध में देय कुल राशि और प्राप्त/वसूली गई राशि का विवरण:

क्र. सं.	वित्त वर्ष (एफवाई)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रॉयल्टी की राशि (लाख रुपये में)	वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त/वसूल की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	2020-2021	8021.84	7895.20
2.	2021-2022	10543.05	10460.85
3.	2022-2023	16926.03	16592.05
4.	2023-2024	19247.63	18678.34
5.	2024-2025	26247.17	25530.20
6.	2025-2026 (दिनांक 17.07.2025 तक)	2448.25	2147.31
कुल		83433.97	81303.95